यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता के माह 04/2019 से माह 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री अंशुमन अग्रवाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आशीष पाण्डेय, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.09.2020 से 19.09.2020 तक श्री राजकुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशिक पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सिराज हुसैन एवं श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.05.2019 से 23.05.2019 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः (अ) वन संरक्षण एवं संवर्धन कार्य
   (ब) चकराता वन प्रभाग के अन्तर्त समस्त रेजं

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2017-18	696.79892
2018-19	466.10581
2019-20	373.15983

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**स्थापना**		**गैरस्थापना**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2017-18	167.29	167.29			-	-	-
2018-19	218.39	218.39			-	-	-
2019-20	237.29	225.29			-	12.00	

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विभागो को प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**स्थापना योजना का नाम**	**केन्द्र पोषित/राज्य पोषित**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2017-18	IFM	**केन्द्र पोषित**		3.30	3.30	
2018-19	IFM	**केन्द्र पोषित**		19.28	19.28	
2019-20	IFM	**केन्द्र पोषित**		7.18	7.18	

(iii)इकाई को बजट आवंटन गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 07/2019 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2020 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: 1. आरक्षित वनों की अग्नि से सुरक्षा 2. बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण योजना 3. इन्टैन्सिफिऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम 4. लीसा

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)
शून्य

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : निगम द्वारा विकास कार्यों हेतु किए गए पातन के वृक्षों की रॉयल्टी ₹37.51 लाख अदा न किया जाना।

प्रस्तर- 02 : प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा धनराशि कम जमा कराया जाना ₹4.53 लाख

प्रस्तर- 03 : कार्य योजना अनुमोदन के बिना वन उपज का अनियमित विदोहन ₹3.46 करोड़।

प्रस्तर- 04 : जमा की गयी जमानत की धनराशि को जब्त करके राजस्व में जमा न किया जाना ₹0.53 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)

गम्भीर अनियमितताएं
व्यय की लेखा-परीक्षा
भाग-II (ब)

प्रस्तर- 05 : निर्माण कार्यों पर ₹ 59.82 लाख का अनियमित व्यय।

प्रस्तर- 06 : वन पंचायतों को दी गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त ना किया जाना ₹50.40 लाख।

प्रस्तर- 07 : प्रभाग की उदासीनता के कारण NPS से आच्छादित 61 अधिकारियों/कर्मचारियों के 03 माह से 48 माह तक विलंब से NPS कटौती शुरू करने से ₹28.22 लाख के नियोक्ता अंशदान से वंचित रहना।

प्रस्तर – 08 : कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के भुगतान में कार्मिक के अंशका भुगतान किए जाने पर एजेन्सी को **₹1.31** लाख का अधिक भुगतान/अदेय लाभ।

प्रस्तर – 09 : निष्फल व्यय ₹1.07 लाख।

STAN

प्रस्तर- 01 : टी ए सी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना निविदा का आमंत्रण किया जाना एवं कार्यादेश जारी किया जाना।

(राजस्व से संबन्धित)

<u>भाग-2(ब)</u>

प्रस्तर- 01 : निगम द्वारा विकास कार्यों हेतु किए गए पातन के वृक्षों की रॉयल्टी ₹37.51 लाख अदा न किया जाना।

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकृत (नवम्बर 2012) 'उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों में कार्य करने हेतु कटान चिरान की शर्तों' के बिन्दु संख्या 31(2) के अनुसार लॉट के मूल्य का एक तिहाई भाग 1 मार्च को, दूसरा तिहाई भाग 1 जून को एवं तीसरा तिहाई भाग 1 सितंबर को वन निगम द्वारा जमा किया जाएगा।

तथापि, प्रबंध निदेशक- उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने अपने स्थायी आदेश दिनांक 14 सितंबर 2016 के द्वारा निर्णय लेते हुए निर्देश जारी किया कि विकास कार्यों से संबन्धित वृक्षों की रॉयल्टी अब निगम द्वारा भुगतान नहीं की जाएगी। उक्त वृक्षों की रॉयल्टी वृक्षों से प्राप्त विक्रय मूल्य में 20 प्रतिशत कटौती करने के पश्चात शेष धनराशि कार्यदायी/ आवटी संस्था को भुगतान किए जाने की बात कही गयी। उक्त निर्णय विभाग द्वारा जारी उपरोक्त शर्तों के प्रतिकूल था ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19में विकास कार्यों/ मार्ग निर्माण से संबन्धित 08 लॉट (लॉट संख्या 01,02,12,13,14,74,75,76) पर निगम द्वारा कार्य किया गया था। उक्त 08 लॉट में कुल 819.3049 घन मीटर प्रकाष्ठ की प्राप्ति दिखाई गयी है तथापि उक्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी निगम द्वारा विभाग को मार्च, जून एवं सितंबर की नियत तिथियों को भुगतान नहीं किया गया। इस कारण से वर्ष 2018-19की रॉयल्टी दरों पर उक्त 819.3049 घन मीटर प्रकाष्ठ का मूल्य/रॉयल्टी ₹18,07,395 निगम के पास अवरोधित है (संलग्नक-1)।

इसी प्रकार वर्ष 2019-20में विकास कार्यों/ मार्ग निर्माण से संबन्धित 10लॉट (लॉट संख्या 01,02,81,82,127,128,129,130,131,132) पर निगम द्वारा कार्य किया गया था। उक्त 10लॉट में कुल 691.5511 घन मीटर प्रकाष्ठ की प्राप्ति दिखाई गयी है तथापि उक्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी भी निगम द्वारा विभाग को मार्च, जून एवं सितंबर की नियत तिथियों को भुगतान नहीं किया गया। इस कारण से वर्ष 2018-19 की रॉयल्टी दरों पर उक्त 691.5511 घन मीटर प्रकाष्ठ का मूल्य/रॉयल्टी ₹19,43,397 निगम के पास अवरोधित है (संलग्नक-2)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि रायल्टी वन निगम द्वारा अदा नहीं की जा रही है जिसको वसूल किए जाने हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

अतः वन निगम द्वारा विकास कार्यों हेतु किए गए पातन के वृक्षों की रॉयल्टी ₹37,50,792 अदा न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-1

वर्ष 2018-19 में विकास कार्यों से संबन्धित लाटों की रॉयल्टी धनराशि का विवरण

क्र0 सं0	लॉट सं0/वर्ष	आवंटित वृक्षोंकी प्रजाति	सी0सी0एफ0 आयतन (घ0मी0 में)	रॉयल्टी दरप्रति घ0मी0	कुल रॉयल्टी कीधनराशि
1	01/2018-19	सिगौर गैढ़ी	0.2540	4980	1264.920
		सिरस	0.7700	9623	7409.710
2	03/2018-19	देवदार हरा	0.9060	4848	4392.288
		तुन हरा	1.0090	17075	17228.675
3	12/2018-19	बांज हरा	117.4600	1379	161977.340
		चीड़	47.6200	2235	106430.700
		खड़ीक	3.6420	4980	18137.160
		कुकाट	1.2440	4980	6195.120
		कैल	4.9500	3642	18027.900
		बुरांश	0.1130	1379	155.827
4	13/2018-19	बांज हरा	133.4720	1379	184057.888
		कैल	20.7500	3642	75571.500
		कुकाट	0.8490	4980	4228.020
		खड़ीक	1.4160	4980	7051.680
		देवदार	21.6300	4848	104862.240
		मोरु	6.8220	1379	9407.538
		रई	1.5300	4980	7619.400
5	14/2018-19	चीड़ हरा	2.0060	2235	4483.410
		खड़ीक	2.6290	4980	13092.420
6	74/2018-19	अखरोट	5.9460	4980	29611.080
		चीड़	67.0760	2235	149914.860
		शहतूत	0.2540	4980	1264.920
		बानू	1.1840	4980	5896.320
		फेटू	1.3210	4980	6578.580
		कुकाट	1.1800	4980	5876.400
7	75/2018-19	अखरोट	2.9073	4980	14478.354
		चीड़	6.4600	2235	14438.100
		मेहता	0.1513	4980	753.474
8	76/2018-19	चीड़	356.6933	2235	797209.526
		बान	0.3200	4980	1593.600

		दर्ली	2.7200	4980	13545.600
		कैल	4.0200	3642	14640.840
योग			819.3049		1807395.390

नोट- जिन प्रजाति के वृक्षों की रॉयल्टी दर आदेश में उल्लिखित नहीं थी उनकी रॉयल्टी कोकाट की रॉयल्टी दर के अनुसार अगणित की गयी है।

संलग्नक-2

वर्ष 2019-20 में विकास कार्यों से संबन्धित लाटों की रॉयल्टी धनराशि का विवरण

क्र0 सं0	लॉट सं0/वर्ष	आवंटित वृक्षोंकी प्रजाति	सी0सी0एफ0 आयतन (घ0मी0 में)	रॉयल्टी दरप्रति घ0मी0	कुल रॉयल्टी कीधनराशि
1	01/2019-20	देवदार	5.006	4848	24269.088
		कैल	4.826	3642	17576.292
		बान	1.015	4980	5054.700
2	02/2019-20	खड़िक	0.103	4980	512.940
		बान	9.4120	4980	46871.760
		कैल	3.3500	3642	12200.700
		चीड़	0.2300	2235	514.050
		सुरई	0.7620	17	12.954
3	3/2019-20	बान	23.4870	4980	116965.260
		भीमल	0.0560	4980	278.880
		काफल	1.0200	4980	5079.600
		बुरांश	0.1880	1379	259.252
		दुधला	0.0370	4980	184.260
4	82/2019-20	तुन	2.0930	17075	35737.975
		कचनार	0.1410	4980	702.180
		भीमल	3.1710	4980	15791.580
		खड़ीक	2.6760	4980	13326.480
5	127/2019-20	चीड़	445.3600	2235	995379.600
		बान	0.4266	4980	2124.468
		कैल	0.1866	3642	679.597
6	128/2019-20	चीड़	104.0700	2235	232596.450
		भीमल	0.4806	4980	2393.388
		सिरस	2.5680	9623	24711.864
		खड़िक	0.3310	4980	1648.380
		चुल्लू	0.1670	4980	831.660
		अखरोट	1.3270	4980	6608.460
		बकेन	0.1170	4980	582.660
		कुकाट	0.3340	4980	1663.320

7	129/2019-20	कचनार	2.9570	4980	14725.860
		कुकाट	0.4453	4980	2217.594
		खड़िक	4.9570	4980	24685.860
		नाशपाति	0.3696	4980	1840.608
		भीमल	3.9860	4980	19850.280
		कीमू	0.7010	4980	3490.980
		चुल्लू	0.7010	4980	3490.980
		फेडू	0.9596	4980	4778.808
		चीड़	8.6599	2235	19354.877
		अखरोट	0.7379	4980	3674.742
8	130/2019-20	बान	11.7640	4980	58584.720
		कुकाट	6.3770	4980	31757.460
		बुरांश	0.1510	1379	208.229
		मोरु	2.4800	1379	3419.920
		कीमू	0.3770	4980	1877.460
		कचनार	0.6780	4980	3376.440
		खैर	0.7910	44902	35517.482
		भीमल	0.4230	4980	2106.540
9	131/2019-20	बान हरा	7.0600	4980	35158.800
		बुरांश	0.8400	1379	1158.360
		मोरु	0.4500	1379	620.550
10	132/2019-20	बान हरा	11.8080	4980	58803.840
		मोरु	3.1300	1379	4316.270
		बुरांश	0.3010	1379	415.079
		कोकाट	0.9890	4980	4925.220
		खड़ीक	1.7500	4980	8715.000
		खैर	0.1510	44902	6780.202
		भीमल	2.4910	4980	12405.180
		शहतूत	0.1270	4980	632.460
		पेणी	0.1510	4980	751.980
		कचनार	1.4700	4980	7320.600
		अखरोट	0.1510	4980	751.980
		पिलखन	0.2260	4980	1125.480
योग			691.5511		1943397.639

नोट- वर्ष 2019-20 की रॉयल्टी दर उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2018-19 की रॉयल्टी दर के अनुसार रॉयल्टी धनराशि अगणित की गयी है। जिन प्रजाति के वृक्षों की रॉयल्टी दर आदेश में उल्लिखित नहीं थी उनकी रॉयल्टी कोकाट की रॉयल्टी दर के अनुसार अगणित की गयी है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर- 02 : प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा धनराशि कम जमा कराया जाना ₹4.53 लाख।

शासनादेश सं0 431(1)/X-4-19/1(348)/2015 दिनांक 25 नवंबर 2019 के द्वारा जनपद देहरादून के अंतर्गत क्यारी कचटा मोटर मार्ग से मेहसासा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.0525 है0 वन भूमि एवं शासनादेश सं0 496(1)/X-4-19/1(228)/2015 दिनांक 29 नवंबर 2019 के द्वारा जनपद देहरादून मे महासू देवता से थेना लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.3465 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के संबंध मे विधिवत स्वीकृत जारी की गयी थी। प्रभाग की वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणो की नमूना जांच मे पाया गया कि निम्नलिखित वन भूमि को गैर वानिकी उपयोग हेतु लीज पर देने की स्वीकृत दी गयी है। उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 17 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरण वृक्षारोपण, मलबा निस्तारण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानो पर वृक्षारोपण हेतु धनराशि जमा करायी गयी है।

उपरोक्त शासनादेश मे वर्णित शर्तो के अनुसार जमा धनराशि की जांच मे पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी (जिसे वन विभाग द्वारा गणना की गयी है) द्वारा धनराशि कम जमा करायी गयी है। जिसका विवरण नीचे तालिका मे दिया गया है।

मोटर मार्ग का नाम	प्रत्यावर्तित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0 मे)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि (₹ मे)	मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानो पर वृक्षारोपण की धनराशि (₹ मे)	एन पी वी की धनराशि (₹ मे)	योग (₹ मे) (3+ 4 + 5)	जमा की गयी धनराशि (₹ मे)	कम जमा की गयी धनराशि (₹ मे) (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
क्यारी कचटा मोटर मार्ग से मेहसासा मोटर मार्ग	0.0525	0.0525 x 2=0.105 @209366= 21983	1.5 कि मी. x 322102= 483153	0.0525 x 657000 = 34,492	539628	349508	19010
महासू देवता से थेना लिंक मोटर मार्ग	0.3465	0.3465 x 2=0.693 @209366 =145091	1.775 कि0 मी0 x 322102= 571731	0.3465 x 845000= 292793	1009615	746892	262723
		योग					**452843**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया क्षतिपूरक वृक्षारोपण, रिक्त पड़े खाते एवं एल.पी.वी. की अवशेष धनराशि एडहाक कैम्पा खाते मे जमा करने धन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को पत्र प्रेषित किया गाया है।

अतः ₹ 4.53 लाख प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कमा जमा कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

(राजस्वसेसंबन्धित)

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर- 03: कार्य योजना अनुमोदन के बिना वन उपज का अनियमित विदोहन ₹3.46 करोड़।

वन विभाग द्वारा प्रत्येक वन प्रभाग के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए कार्य योजना बनाई जाती है जो कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। वनों का प्रबंधन कार्य योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है जिनमें वनों के प्रबंधन एवं वन वर्धनिककार्यों के लिए विस्तृत योजनाएँ सम्मिलित रहती हैं। अनुमोदित कार्य योजनाओं के अभाव में कोई भी वन वर्धनिक संक्रिया अथवा व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2014 के प्रस्तर 31 के अनुसार एक कार्य योजना तैयार करने में दो से ढाई वर्ष तक लग सकता है। 2014 की संहिता के प्रस्तर 60 के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से क्षेत्रीय अपर प्रमुख वन संरक्षक को तीन माह के अंदर कार्य योजना को अनुमोदित करना होता है। आदर्श रूप से किसी कार्य योजना को संचालित हो रही कार्य योजना समाप्त होने से पहले ही तैयार एवं अनुमोदित कर वालिया जाना चाहिए। इस के अतिरिक्त टी एन गोड़ा वर्म नथिरुमुल्क पादब नाम भारत सरकार एवं अन्य मामले में माननीय सर्वोच्चन्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय (दिसम्बर1996) तथा राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2004 के प्रस्तर 92 द्वारा किसी भी वन उपज का व्यावसायिक विदोहन प्रतिबंधित किया गया है जब तक कि यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के उपबंधों के अनुसार न किया गया हो। आगे, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2014 के प्रस्तर 33 द्वारा भी इसी बिन्दु को यह कहते हुए रेखांकित किया गया है कि प्रवसंको यह सुनिश्चित करना चाहिए किवनों की सभी संक्रियाएँ अनुमोदित कार्ययोजना के उपबंधों के अनुसार ही संपादित की जार ही हैं।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रभाग की कार्य योजना वर्ष 2007-08 से 2016-17 तक के लिए अनुमोदित थी जो सितम्बर 2017 को समाप्त हो गयी थी जिसके अभाव में वन वर्धनिक संक्रिया अथवा व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती थी परंतु मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना

उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 829/19-1(2)-7 दिनांक 03.05.2019 द्वारा भारत सरकार द्वारा कार्य योजना शीघ्र अनुमोदित होने की प्रत्याशा में वर्किंगस्कीम के अनुसार लीसाटिपानव अन्य कार्य करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रभाग द्वारा प्राप्त राजस्व प्राप्ति के अवलोकन में पाया गया की वर्ष 2019-20 में इकाई द्वारा वन उपजलीसा में ₹2677500 वन निगम के माध्यम से लकड़ी पर अन्य वन उत्पाद की बिक्री से प्राप्तियाँ में ₹31907455 की प्राप्ति की गयी। जब कि वर्तमान तक इकाई की कार्य योजना अनुमोदित नहीं हुई है जो उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

अतः कार्य योजना के अनुमोदन के बिना वन उपज के अनियमित विदोहन ₹3.46 करोड़ का प्रकरण उच्चअधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

राजस्व से संबन्धित)

भाग–II 'ब'

प्रस्तर- 04 : जमा की गयी जमानत की धनराशि को जब्त करके राजस्व में जमा न किया जाना ₹0.53 लाख।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के प्रस्तर 351 के अनुसार समस्त जमा या अवशेष, जो कि तीन से अधिक पूर्ण लेखा वर्षों तक बिना दावे के रहता है, प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में राजस्व के समुचित लेखाशीर्ष में जमा कर दिया जाए।

उत्तराखंड शासन के वन एव पर्यावरण अनुभाग के अनुसार एवं उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम (यथा प्रवृत्त उत्तराखंड में) के अनुसार अनुज्ञा पातन के अंतर्गत उचित मात्रा में वृक्षारोपण सुनिश्चित किए जाने हेतु विभिन्न प्रार्थीगणों से जमानत के रूप में टी डी आर ,एफ डी आर एवं एन एस सी की धनराशि जमा कराये जाने का प्रावधान है तथा प्रार्थीगणों द्वारा उक्त वृक्षारोपण एवं उनके रखरखाव न किए जाने पर जमा जमानत को जब्त करके राजस्व में जमा किया जाना है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,चकराता वन प्रभाग,चकराता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार विभाग के पास तीन वर्षो से अधिक प्रार्थीगणो से जमानत के रूप में जमा कराई गयी टी डी आर ,एफ डी आर एव एन एस सी जमा है। विभाग के पास धनराशि ₹52800 (संलग्नक) की एफ डी आर, एन एस सी ऐसी पायी गयी जिन्हे तीन वर्ष या उससे अधिक होनेकर्ता द्वारा उपरान्त भी जमा के वापस लेने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा ऐसी एफ डी आर,एन एस सी को उक्त नियमानुसार जब्त करके राजस्व में जमा किया जाना था जो कि विभाग द्वारा वर्तमान तक नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि तीन वर्षो से पूर्व की जमानत धनराशि जमा कर दी जायेगी।

अतः जमानत के रूप में जमा की गयी जमानत की धनराशि ₹52800 को जब्त करके राजस्व में जमा न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(व्यय से संबन्धित)

भाग–II'ब'

प्रस्तर- 05 : निर्माण कार्यों पर ₹ 59.82 लाख का अनियमित व्यय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के बिन्दु 40(1) के अनुसार कार्य को तब तक प्रारम्भ न किया जाए, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो। उत्तराखण्ड शासन के पत्रांकः 245/xxvii(7)/2012 दिनांकः 22.11.2012 के अनुसार वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों के निष्पादन हेतु उप वन संरक्षक /प्रभागीय वनाधिकारी को ₹5.00 लाख सीमा तक स्वीकृति का अधिकार प्रदत्त किया गया है। ₹5.00 लाख से ₹10.00 लाख की सीमा तक के कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए वन संरक्षक/निदेशक को अधिकार प्रदत्त किया गया है। निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु प्रभागीय वनाधिकारी को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराताके अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान स्वीकृति पंजिका (E-09) की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में ₹59.82 लाख (सूची संलग्न) की लागत के कार्य बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पूर्ण कराये गए तथा संप्रेक्षा तिथि (अगस्त 2020) तक प्रभाग को उक्त कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने उत्तर में बताया कि सभी वित्तीय स्वीकृतियॉ सक्षम अधिकारी को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी थी। वित्तीय एव प्रशासनिक स्वीकृति उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है प्राप्त होने पर उपलबद्ध करा दी जाएगी।

अतः निर्माण कार्यों पर ₹59.82 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्र0सं0	कार्यकानाम	धनराशि
1	रिखनाड़ रेंज के अंतर्गत वन रक्षक चौकी लाखामंडल का नव निर्माण	990000.00
2	देवधार रेंज के अंतर्गत स ग्रेड 3 वन रक्षक चौकी का नव निर्माण	990000.00
3	रीवर रेंज के अंतर्गत वन रक्षक चौकी का नव निर्माण	990000.00
4	रीवर रेंज के अंतर्गत वन रक्षक चौकी का नव निर्माण	972000.00
5	बावर रेंज के अंतर्गत कंडोला वन रक्षक चौकी का नव निर्माण	990000.00
6	रीवर रेंज के अंतर्गत क॰स॰ 9 क्षेत्र में भूमि कटाव आर आर ड्राई चेक डैम दीवार मर्गा का उपचार कार्य	160000.00
7	रीवर रेंज के अंतर्गत क॰स॰ 9 क्षेत्र में पर्यट को के बैठने हेतु आर सी सी बेंचों का निर्माण कार्य	52000.00
8	रीवर रेंज के अंतर्गत रेंज कार्यालय में अपर वन क्षेत्राधिकारी कक्ष के ऊपर नव निर्माण कार्य	249000.00
9	क॰ रेंज के अंतर्गत ग्राम लोहारी में सूअर रोधी दीवार निर्माण कार्य	498000.00
10	वन आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र रामपुर मंडी के अंतर्गत नई कम्प्युटर लैब बनाने हेतु	91484.00
	योग	**5982484**

(व्यय से संबन्धित)

भाग -II ब

प्रस्तर-06 : वन पंचायतों को दी गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त ना किया जाना ₹50.40 लाख।

सहायता अनुदान के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय नियम 19–ए में दिये गये प्रारुप में प्रस्तुत किया जाना था उपयोग की गयी धनराशि के मात्रात्मक व गुणतापरक लक्ष्यों की पूर्ति से सम्बन्धित निरीक्षण रिर्पोट अथवा लक्ष्य पूर्णता के साक्ष्य रखे जाने अपेक्षित है।

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा केम्पा योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में विभिन्न वन पचायतों को विकास के अग्रिम मृदा कार्य, वन पंचायत हेतु अग्रिम मृदा कार्य, वन पंचायत वृक्षारोपण कार्य, वन पंचायत में भूमि एव जल संरक्षण कार्य, वन पंचायत में सर्वे एण्ड डीमर्केशन कार्य, वन पंचायत में बाउंड्री पिलर कार्य, वन पंचयात में चारागाह विकास में वृक्षारोपण कार्य, ब्लॉक कालसी में वन पंचायत सरपंचों हेतु प्रशिक्षण, एव वनाग्नि सुरक्षा कार्य हेतु ₹50.40 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया की उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान में प्रभाग में उपलब्ध नहीं है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि वन पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया जा रहा है। साथ ही प्रभाग द्वारा जो उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये है वे प्रभाग द्वारा दी गयी सूची के अनुसर नही है।

अतः वन पंचायतों को दी गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त ना किया जाना ₹50.40 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-07 : प्रभाग की उदासीनता के कारण NPS से आच्छादित 61 अधिकारियों/कर्मचारियों के 03 माह से 118 माह तक विलंब से NPS कटौती शुरू करने से ₹28.22 लाख के नियोक्ता अंशदान से वंचित रहना।

उत्तराखंड सरकार के शासनादेश संख्या 21/XXVII(7)/अ.पे.यो./2005 दिनांक 25 अक्टूबर 2005 के द्वारा जिन अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति 01 अक्टूबर 2005 के बाद हुयी है, उनके वेतन (वेतन + ग्रेड पे + डी ए) का 10 प्रतिशत की दर से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि के अगले माह से अनिवार्य रूप से की जानी चाहिये। योजना के प्रावधान के अनुसार काटी गई अंशदान के बराबर धनराशि नियोक्ता द्वारा अंशदान के रूप मे दिये जाने का प्रावधान है ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता के 04/2019 से 03/2020 तक के NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) से संबन्धित लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि 61 अधिकारियों/कर्मचारियों के NPS से संबन्धित मासिक अंशदान की कटौती 03 माह से लेकर 118 माह तक विलंब से की गयी । जिसके कारण अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त अवधि के लिए ₹ 28,21,517/- नियोक्ता अंशदान से वंचित रहना पड़ा।

उपर्युक्त को इंगित करने पर प्रभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि PRAN (Permanent Retirement Account Number) नम्बर विलम्ब से मिलने के कारण अंशदान की कटौती विलम्ब से की गई। प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है प्रभाग द्वारा कार्मिको के अंशदान की धनराशि को सस्पेन्स हैड मे रखा जाना चाहिये था एवं PRAN न. प्राप्त होते ही धनराशि को कार्मिको के खाते मे ट्रांसफर कर देना चाहिये था। जिससे कि नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला अंशदान प्राप्त हो सके।

अत: प्रभाग की उदासीनता के कारण 61 कार्मिको का 03 माह से 118 माह विलम्ब से अंशदान की कटौती होने के कारण ₹28.22 लाख का नियोक्ता द्वारा मिलने वाला अंशदान की राशि से वंचित रहना पड़ा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

चकराता वन प्रभाग, चकराता में कार्यरत एन0पी0एस0 अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	एन पी एस में कटौती शुरु करने की तिथि	मूल वेतन + महंगाई भत्ता	मूल वेतन + महंगाई भत्ता	माहों की संख्या जिनमे कटौती नही की गयी	सेवा आरम्भ की तिथि से एनपीएस कटौती जो नही की गयी
1	2	4	5	6			
1	श्री अनिल राणा	29/05/2015	11/2015	35400+6018	41418	5	20709
2	श्री सुरेश चन्द्र कण्डवाल	18/09/2012	4/2013	44900+7633	52533	6	31520
3	श्रीमति सावित्री देवी,	23/12/2005	4/2008	36500+6206	42706	27	115306
4	श्रीमति विशन राणा	1/8/2007	3/2009	36500+6206	42706	19	81141
5	नीरो चौहान	25/10/2018	02/2019	37600+6392	43992	3	13197
6	श्री प्रदीप कुमार भटट्	13/2/2014	11/2014	26800+4556	31356	8	25084
7	श्री सत्येन्द्र सिंह नेगी,	1/8/2006	4/2008	29300+4981	34281	20	68562
8	कु0 निशा	1/10/2016	03/2018	24500+4165	28665	17	48730
9	श्री प्यारे लाल मिश्रा	4/4/2018	4/2019	23100+3927	27027	11	29729
10	श्री प्रमोद कुमार,	18/12/2005	11/2015	33900+5763	39663	118	468023
11	श्री अशोक कुमार	20/3/2008	05/2010	30100+5117	35217	25	88042
12	श्री कृष्ण दत्त ममगाई,	24/1/2009	06/2009	29200+4964	34164	4	13666
13	श्री कमलनयन जखमोला	24/1/2009	06/2009	29200+4964	34164	4	13666
14	श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट	24/1/2009	07/2009	29200+4964	34164	5	17082
15	श्री मदन लाल	24/1/2009	06/2009	29200+4964	34164	4	13666
16	श्री मेहरबान सिंह बिष्ट	24/1/2009	06/2009	29200+4964	34164	4	13666
17	श्री हृदेश सिंह बिष्ट	1/3/2009	07/2009	29200+4964	34164	4	13666
18	श्री प्रदीप सक्सेना,	24/1/2009	06/2009	29200+4964	34164	4	13666
19	श्री सुमेर चन्द्र पाण्डेय,	24/1/2009	06/2009	29200+4964	34164	4	13666
20	श्री उत्तम सिंह बिष्ट,	24/1/2009	06/2009	29200+4964	34164	4	13666
21	श्री उत्तम सिंह तोमर	24/1/2009	06/2009	29200+4964	34164	4	13666
22	श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा,	24/1/2009	06/2009	29200+4964	34164	4	13666

23	श्री अमर सिंह	17/03/2016	02 / 2017	24500+4165	28665	10	28665
24	श्री अतर सिंह,	24/1/2009	07 / 2009	29200+4964	34164	5	17082
25	कु0 बबीता	2/6/2010	12 / 2011	26800+4556	31356	17	53305
26	श्री रमेश कुमार	1/6/2010	12 / 2011	26800+4556	31356	18	56441
27	श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी	1/6/2010	12 / 2011	26800+4556	31356	18	56441
28	श्री चमन दास	4/6/2010	12 / 2011	26800+4556	31356	17	53305
29	श्री रणबहादूर	3/6/2010	12 / 2011	26800+4556	31356	17	53305
30	श्रीमती किरन	5/6/2010	12 / 2011	26800+4556	31356	17	53305
31	कु0 स्वाती जोशी	4/6/2010	12 / 2011	26800+4556	31356	17	53305
32	श्रीमती अर्चना	1/6/2010	12 / 2011	26800+4556	31356	18	56441
33	श्री नवीन राणा	14/3/2012	02 / 2013	26000+4420	30420	10	30420
34	श्री जवाहर सिंह चौहान	09-04-2013	02 / 2015	24500+4165	28665	21	60197
35	श्री वीर सिंह नेगी	29/5/2012	02 / 2013	26000+4420	30420	8	24336
36	श्री हरक बहादुर	14/5/2012	02 / 2013	26000+4420	30420	8	24336
37	श्री विरेन्द्र सिंह भण्डारी	15/5/2012	02 / 2013	26000+4420	30420	8	24336
38	श्री गब्बर सिंह रावत	29/5/2012	02 / 2013	26000+4420	30420	8	24336
39	श्रीमती वर्षा नेगी	29/5/2012	02 / 2013	26000+4420	30420	8	24336
40	श्री रविन्द्र सिंह	17/6/2012	02 / 2013	26000+4420	30420	7	21294
41	श्री रोहित कुमार	14/5/2012	02 / 2013	26000+4420	30420	8	24336
42	श्री राहुल चौहान	26/5/2014	12 / 2014	24500+4165	28665	6	17199
43	श्री आशीष शाह	9/4/2013	12 / 2014	24500+4165	28665	19	54463
44	श्री भीम सिंह	4/12/2013	11 / 2014	25200+4284	29484	10	29484
45	श्री किशन सिंह नेगी	1/2/2014	11 / 2014	24500+4165	28665	9	25799
46	श्री वीरेन्द्र सिंह	15/5/2012	09 / 2016	24500+4165	28665	51	146192
47	श्री आशीष चन्द्रा	14/10/2010	02 / 2012	26800+4556	31356	15	47034
48	श्री केसरी चन्द्र	27/9/2011	05 / 2012	24500+4165	28665	7	20066
49	श्री सूरत सिंह	13/3/2013	11 / 2014	22100+3757	25857	19	49128
50	श्री भोलादास	3/3/2013	11 / 2014	22100+3757	25857	19	49128
51	श्री रमेश लाल	3/3/2013	11 / 2014	22100+3757	25857	19	49128
52	श्री भास्कर जखमोला	4/3/2013	11 / 2014	22100+3757	25857	19	49128
53	श्री अनन्तराम	4/3/2013	11 / 2014	22100+3757	25857	19	49128

54	श्री पदम सिंह	4/3/2013	11 / 2014	22100+3757	25857	19	49128
55	श्री जगतराम	3/3/2013	11 / 2014	22100+3757	25857	19	49128
56	श्री चन्दर सिंह	3/3/2013	11 / 2014	22100+3757	25857	19	49128
57	श्री मुख्त्यार	3/3/2013	11 / 2014	22100+3757	25857	19	49128
58	श्री मदन सिंह	5/6/2013	11 / 2014	22100+3757	25857	16	41371
59	श्री जगत सिंह	26/11/2014	02 / 2016	22100+3757	25857	14	36200
60	श्री सुदेश कुमार	10/4/2015	02 / 2016	20900+3553	24453	9	22008
61	श्री जहीद हसन	8/5/2015	05 / 2017	20900+3553	24453	23	56242
				योग			**28,21,517**

भाग दो ब

प्रस्तर –08 : कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के भुगतान में कार्मिक के अंशका भुगतान किए जाने पर एजेन्सी को ₹1.31 लाख का अधिक भुगतान/अदेय लाभ।

चकराता वन प्रभाग को आउटसोर्सिंग के माध्यम से अकुशल, अर्द्धकुशल तथा कुशल श्रेणी के मानव संसाधन फर्म मै0 उज्जवल कॉन्ट्रेक्ट को–ऑपरेटिव सोसाईटी लि0, देहरादून के द्वारा वर्ष 208-19 एवं 2019-20 मे 0.01 प्रतिशत सेवा शुल्क के आधार पर कर्मचारी उपलब्ध कराया गया है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि प्रभाग द्वारा दिनॉक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक मानव संसाधन उपलब्ध कराने पर सेवा प्रदाता फम र्को कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) एव ंकर्मचारी राज्य बीमा (ई0एस0आई0) का भुगतान करते समय कार्मिक के अंशका भी भुगतान किया गया, जबकि ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 में नियोक्ता एवं कार्मिक के अंश हेतु अलग–अलग प्रतिशत्ता का निर्धारण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार दिनॉक 31.05.2018 से पूर्व ई0पी0एफ0 हेतु नियोक्ता एवं कार्मिक का अंश क्रमशः 13.15% एवं 12%, दिनॉक 01.06.2018 से 13% एवं 12% तथा ई0एस0आई0 हेतु दिनॉक 30.06.2019 से पूर्व नियोक्ता एवं कार्मिक का अंश क्रमशः 4.75% एवं 1.75% तथा दिनॉक 01.07.2019 से 3.25% एवं 0.75% निर्धारित किया गया था। इस प्रकार, प्रभाग द्वारा अधिसूचना में ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 की निर्धारित प्रतिशत्ता अंश के विपरीत दिनॉक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक प्रतिमाह कार्मिक के ई0पी0एफ0 अंश 12 प्रतिशत एवं ई0एस0आई0 1. 75 प्रतिशत का भी भुगतान एजेन्सी को किया गया। जिसका परिणाम हुआ कि एजेन्सी 13.75 प्रतिशत अर्थात ₹1.31 लाख का अदेय लाभ पहुॅचाया गया। माहवार अधिक भुगतान का विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

मह	स्वेा प्रदाता एजेंसी द्वारा दावा राशि	प्रभाग द्वारा भुगतानित राशि (कार्मिक के अंश सहित)	भुगतानित राशि मेंकार्मिक के ई0पी0एफ0 के अंश की राशि(12%)	भुगतानित राशि मेंकार्मिक के ई0एस0आई0 के अंश की राशि(1.75%)	वास्तविक रुप से भुगतान की जाने वाली राशि (3-4-5)	अधिक भुगतान की राशि (3-6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
04/2018	63670	63670	7640	1114	54916	8754
05/2018	54036	54036	6484	945	46607	7429
06/2018	84472	84472	10136	1478	72858	11614
07/2018	84472	84472	10136	1478	72858	11614
08/2018	84472	84472	10136	1478	72858	11614
09/2018	84472	84472	10136	1478	72858	11614
10/2018	84578	84578	10149	1480	72949	11629
11/2018	84897	84897	10187	1485	73225	11672
12/2018	84897	84897	10187	1485	73225	11672
01/2019	84897	84897	10187	1485	73225	11672

02 / 2019	76586	76586	9190	1340	66056	10530
03 / 2019	84897	84897	10187	1485	73225	11672
योग :–	**956346**	**956346**	**114755**	**16731**	**824860**	**131486**

उक्त के अतिरिक्त जांच मे यह पाया गया कि एजेंसी द्वारा सेवा शुल्क 0.01 की दर से वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 मे सेवा देने की सहमति दी गयी थी जबकि प्रभाग द्वारा 1.99 की दर से सेवा शुल्क काभुगतान किया गया है। जिसमे कुल ₹40184 (2029521 x 1.98) का अधिक भुगतान हुआ है। उक्त के अतिरिक्त 01.04.2019 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी के अनुसार दर कम्प्यूटर आपरेटर ₹13643, वाहन चालक ₹13347, डेली लेबर ₹11831 है जबकि उक्त के लिए क्रमशः ₹13715, ₹ 13418 एवं ₹11893 का भुगतान किया गया है। कर्मचारियों के वेतन से ई.पी.एक. एवं ई.एस.आई. जमा करने का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नही कराया गया।

उक्त को इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख वन संरक्षक के आदेश के अनुसार भुगतान किया गया है। 01.04.2019 से प्रभावी मजदूरी के संबंध मे जांच कर अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया एवं प्रयोक्ता एजेन्सी से ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के जमा का विवरण प्राप्त कर उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि ई पी एफ एवं ई एस आई कार्मिक के अंश का भुगतान किया गया या नही, विवरण उपलब्ध नही है एवं एजेंसी द्वारा 0.01 प्रतिशत की सेवा शुल्क के आधार पर कार्मिक उपलब्ध कराये जाने संबंधी पत्र दिया गया है। जबकि एजेसी को 1.99 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क का भुगतान किया गया है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकरियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर – 09 : निष्फल व्यय ₹1.07 लाख।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक,अनुश्रवण मूल्यांकन, आई. टी. एवं आधुनिकीकरण उत्तराखंड देहरादून के पत्र संख्या **1078/** 37-28 दिनांक **1**8.**04.2019** के द्वारा चकराता वन प्रभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण वर्ष 2015-16 मे विभिन्न रेंजों की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। जिसके अनुसार प्रभाग में वर्ष 2015-16में विभिन्न रेंजों में रोपित पौध का मानको के अनुसार सफलता का प्रतिशत नहीं रहा। अतः निम्नलिखित विवरण के अनुसार निम्न रेंज में निर्धारित मानक के अनुसार सफलता प्रतिशत न होने के कारण ₹1.07 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

क्रम संख्या	रेंज का नाम	वृक्षारोपण योजना का नाम	क्षेत्रफल(है0 में)	कुल रोपित पौध	मौके पर जीवित पौध	सफलता प्रतिशत/मानक प्रतिशत	मानक से कम जीवित पौध	निष्फल व्यय(कम जीवित पौध 9.61(₹ में)
1	रिखनाड़	व0प0 सुदृकरण योजना चरागाह व0प0	15.00	6000	364	6.06	2516	24179
2	बाबर	व0प0 सुदृकरण योजना चरागाह व0प0	10.00	4000	442	11.05	1478	14204
3	रीवर	**13** वां वित्त आयोग के अंतर्गत	10.00	11000	1434	13.03	3846	36960
4	बाबर	व0प0 सुदृ करण योजना मिश्रित वनीकरण	5.00	5500	1114	20.25	1526	14665
5	रिखनाड़	कैम्पा योजना	6.00	6600	1364	20.66	1804	17336
योग							11170	1,07,344/-

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि मृत पौधे के स्थान पर नए पौध लगाने की कार्यवाही कर दी गयी है। प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि पूर्व मे लगाए गए पौध के मानक के अनुसार कम पौध जीवित रहने से वृक्षारोपण पर किया गया व्यय निष्फल रहा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर- 01 : टी ए सी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना निविदा का आमंत्रण किया जाना एवं कार्यादेश जारी किया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि प्रभाग में रीवर राजि के अंतर्गत व्यासी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड को प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन हेतु आर0सी0सी0 पिलर निर्माण कार्य का आगणन ₹14.08 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरांत लागत ₹ 13.29 लाख की स्वीकृति दिनांक 11.09.2019 को जारी की गयी थी तथा चकराता वन प्रभाग मे वन आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र तथा आवासीय परिसर रामपुर मंडी की सुरक्षा हेतु डिफलेकटिंग स्पर के निर्माण कार्य का आगणन ₹24.00 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग की टी ए सी द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरांत लागत ₹ 24.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 04.09.2019 को प्रदान की गयी। आगे जांच मे पाया गया कि प्रभाग द्वारा उक्त दोनों कार्यों हेतु टी ए सी की स्वीकृति प्राप्त किए जाने के पूर्व ही निविदा का आमंत्रण कर दिया गया एवं अप्रैल 2019 में कार्यादेश भी जारी कर दिया गया था। जबकि टी ए सी के द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरांत के बाद निविदा का आमंत्रण किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य किया जाना आवश्यक था बरसात मे कार्य संपादित कराया जाना संभव नहीं था। पूर्व मे निविदा का आमंत्रण किया गया था किन्तु भुगतान TAC के बाद किया गया है। प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कार्य हेतु निविदा का आमंत्रण एवं कार्य का प्रारम्भ कराया जाना टीएसी के बाद किया जाना था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
49/2015-16	-	01,02,03	-
53/2017-18	01	01,02	-
79/2018-19	-	01,02,03	-
10/**2019-20**	-	01,03,04	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
79/2018-19	01	04	01,02
10/2019-20	-	02	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

i. शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री दीप चन्द्र आर्य	प्रभागीय वनाधिकारी (01.04.2019 से 31.03.2020)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांये।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV